P-1

R.M.M. Law College - Saharsa.
Manvendra Mandal
parttime Lecturer

Hindu Marriage Act
part - 1

धारा- 9 के अन्तर्गत डिक्री की अवज्ञा किये जाने पर डिक्री का निष्पादन कैसे कराया जाता है?

दाम्पत्य अधिकारों का अर्थ पति या पत्नी के अधिकार और समाज के दूसरे पति और पत्नी के अधिकारों के लिए विधान का एक सृजन मात्र है। यह अधिकार विवाह की संस्था में अन्तर्निहित है। धारा- 9 केवल पूर्व प्रचलित विधि का संहिताकरण है, क्योंकि धारा 9 के अन्तर्गत डिक्री पारित की जाती है, डिक्री के निष्पादन में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 32 में डिक्री की अवज्ञा किये जाने पर डिक्री के निष्पादन में सम्पत्ति की कुर्की की जाती है। जहाँ पर डिक्री की जान-बूझ कर अवज्ञा की गई हो और जहाँ पति और पत्नी ने शर्तों के बावजूद भी डिक्री की अवज्ञा की हो। धारा 9 के अत्याचार को रोकने के लिए पर्याप्त अभिरक्षा है। यह विवाह टूटने से रोकने हेतु सामाजिक उद्देश्य को पूरा करती है। दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसके उचित परिप्रेक्ष्य में और अवज्ञा के मामलों के निष्पादन के तरीके हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 का हनन नहीं करती है।

Scanned with CamScanner